To,

The Registrar(General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No. 697/G/OA-354/2022 Date 16/8/22

Subject : **Factual & Action Taken report in compliance of order dated 20-05-2022 passed by NGT on OA No 354/2022 titled by Narendra kumar Sharma and others versus state of uttar Pradesh.**

Sir,

In the above case Hon'ble Tribunal has directed that the allegations made require due verification and immediate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee of the State PCB, Executive Office, Nagar Panchayat, Parikshitgarh, Meerut and District magistrate, Meerut and direct the Joint Committee to meet within four weeks and undertake site visits, look into the grievances of the application and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF.

According to the order of Hon'ble NGT a Joint committee of the State PCB, Executive Office, Nagar Panchayat, Parikshitgarh, Meerut and Sub Divisional Magistrate, Mawana, Meerut jointly visit the alleged site on dated 23-06-2022. The alleged site of M/s Deepak traders has vacated on dated 12-07-2022 and the allegation has been sort-out. Accordingly a spot inspection and action taken report is being submitted along with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

With regards,

Enclosure : factual action taken report.

Your's faithfully,

(Vijay) 16/8/2022
Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board,
Meerut

ANNEXURE-1

To,

District Magistrate,
Meerut.

Subject :**Regarding compliance of order dated 20-05-2022 passed by Hon'ble N.G.T. in O.A. No. 354/2022**.

Sir,

Kindly have you reference letter no– 290/G/O.A.-354/Narendra kumar/2022 dated 30-05-2022 by which a joint committee of SDM, Mawana, Meerut and E.O., Nagar panchayat, Parikshitgarh, Meerut has been constituted.

In the matter of Mr. Narendra Kumar Sharma and other residents it to be submitted that a complaint dated 17-03-2022 was received to the office of E.O. Nagar panchayat, Parikshitgarh Meerut against M/s Deepak Traders regarding commercial activates of loading/unloading of sand and Rodi etc. and use of heavy transport vehicles for the purpose and thereby causing of air pollution.

A notice vide letter no-129/N.P. Pari.Garh/Notice/ Meerut 2021-22 dated 23-03-2022 was issued to M/s Deepak Traders, but M/s Deepak traders have not stopped the activities, A letter no. 425/N.P.Pari.Garh/Meerut/2022-23 dated 22-06-2022 was issued to Thana incharge, Thana, Parikshitgarh Meerut for providing police force.

On dated 12-07-2022 M/s Deepak Traders has vacated the area on which earlier sand, rodi etc. activities were carried out. Presently, at the spot no storage of sand, rodi etc. was found stored. The spot was found vacated, at time of inspection photographs were taken which is a annexed.

Regarding compliance of order dated 20-05-2022 passed by Hon'ble N.G.T. in O.A. No. 354/2022 compliance report of here by placed for your kind and necessary action please.

(Executive Officer)
Nagar panchayat, Parikshitgarh,
Meerut

(Prakhar Kumar)
A.E.E
UPPCB, Meerut

(Sub Divisional Magistrate)
Mawana,
Meerut

C.C. : Regional Officer, U.P.P.C.B., Meerut kind and necessary action in the matter of O.A. No. 354/2022 in Hon'ble N.G.T.

(Sub Divisional Magistrate)
Mawana,
Meerut

ANNEXURE-2

दिनांक 12.0[illegible].2022 को वर्तमान की स्थिति के छायाचित्र।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत परीक्षितगढ़
जनपद–मेरठ।

ANNEXURE-3

दिनांक 23.06.2022 को स्थलीय निरीक्षण के छायाचित्र।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत परीक्षितगढ़
जनपद–मेरठ।

ANNEXURE - 4

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत परीक्षितगढ़
जनपद मेरठ।

महोदय,

निवेदन यह करना है कि प्रार्थी दीपक मित्तल पुत्र स्व0 श्री बाबू राम मित्तल, प्रोपराइटर ऑफ मैसर्स दीपक ट्रेडर्स, मौहल्ला गुड़मण्डी, परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ द्वारा अपने प्रतिष्ठानं से समस्त निर्माण सम्बन्धी सामग्री जैसे रोड़ी, डस्ट, रेत आदि हटा ली गयी है। प्रार्थी भविष्य में मानक पूर्ण करते हुए नियमानुसार अपने उक्त प्रतिष्ठान पर निर्माण सम्बन्धी सामग्री डालेगा, यदि मेरे द्वारा अपने उक्त प्रतिष्ठान पर पुनः बिना मानक पूर्ण किये कार्य किया जाता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

For DEEPAK TRADERS
प्रार्थी

Prop.

दीपक मितत‍ल
पुत्र स्व0 श्री बाबू राम मितत‍ल
प्रोपराइटर ऑफ मैसर्स दीपक टेड्रर्स
मौहल्ला गुड़मण्डी
परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ।

ANNEXURE-5

कार्यालय नगर पंचायत परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ।

" कोरोना रोके, सही प्रकार से मास्क पहनें, दो गज की दूरी का पालन करें, हाथों की स्वच्छता बनाये रखें "

पत्रांक : 454/न0पं0परी0गढ़/मेरठ/2022-23 दिनांक : 30.06.2022

सेवा में,

थानाध्यक्ष महोदय,
थाना परीक्षितगढ़
जनपद मेरठ।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 354/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 354/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में मै0 दीपक ट्रेडर्स, मौहल्ला खजूरी दरवाजा, जिला सहकारी बैंक के पीछे, परीक्षितगढ़, मेरठ द्वारा आवासीय क्षेत्र में बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई सम्बन्धी सामग्री डाल कर भण्डारण व परिवहन से वायु प्रदूषण/न्यूसेंस परिलक्षित होना पाया गया है, जिस कारण उक्त स्थान से सामग्री हटाने सम्बन्धी/उचित कार्यवाही हेतू जिलाधिकारी महोदय, जनपद मेरठ द्वारा के पत्र संख्या 290/जी/ओ0ए0-354/नरेन्द्र कुमार/2022 दिनांक 30.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) को संयुक्त रूप से समिति गठित कर कार्यवाही किये जाने हेतू निर्देशित किया गया था, तत्पश्चात जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील मवाना व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी के साथ दिनांक 23.06.2022 को मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि वास्तव में ही उनके द्वारा रेत, रोडी, डस्ट आदि को अधिक मात्रा में भण्डारण कर रखा है जिसे तत्काल हटाने के लिये उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील मवाना द्वारा आदेशित किया गया किन्तु दीपक ट्रेडर्स, द्वारा दिनांक 24.06.2022 तक उक्त स्थल से रोडी डस्ट आदि हटाने का अनुरोध किया था किन्तु वर्तमान में भी स्थिति ज्यों की त्यों है अभी तक उक्त फर्म द्वारा उक्त स्थल से रेत, रोडी, डस्ट आदि सामग्री नही हटायी गयी है बल्कि उक्त स्थल पर और सामग्री इकट्ठा किया जा रहा है। फर्म द्वारा एन0जी0टी0 व प्रशासन के नियमो की अनदेखी की जा रही है तथा आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है जिसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दीपक ट्रेडर्स, के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत परीक्षितगढ़
जनपद मेरठ।
30.06.2022

ANNEXURE-6

कार्यवृत्त

आज दिनांक- 23-6-22 को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के पत्र सं० 29/0A-354/नरेन्द्र कुमार/2022 दिनांक 30-5-22 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ० ए० न०- 354/2022 में पारित आदेश दिनांक- 20-5-22 के सम्बन्ध में मौके पर जा निरीक्षण किया, जिसमें उपस्थित शिकायतकर्तागण श्री जितेन्द्र आदि आदि के समक्ष मै. दीपक ट्रेडर्स के प्रो० दीपक मित्तल द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा (सुबह) दिनांक-25-6-22 तक उक्त स्थल रोड़ी, डस्ट आदि हटा ली जायेगी।

दीपक मित्तल

शिकायतकर्तागण

Brady

Jitendra

विनोद कुमार

Rajkumar

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत परीक्षितगढ़

A.E. B
UPPCB Meerut

Amitesh
SDM(M)

ANNEXURE-7

कार्यालय नगर पंचायत परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ।

" कोरोना रोकें, सही प्रकार से मास्क पहनें, दो गज की दूरी का पालन करें, हाथों की स्वच्छता बनाये रखें "

पत्रांक : 425/न0पं0परी0गढ़/मेरठ/2022-23

दिनांक : 22.06.2

सेवा में,

थानाध्यक्ष महोदय,
थाना परीक्षितगढ़
जनपद मेरठ।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 354/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 354/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में मै0 दीपक ट्रेडर्स, मौहल्ला खजूरी दरवाजा, जिला सहकारी बैंक के पीछे, परीक्षितगढ़, मेरठ द्वारा आवासीय क्षेत्र में बिल्डिंग मैटैरियल सप्लाई सम्बन्धी सामग्री डाल कर भण्डारण व परिवहन से वायु प्रदूषण/न्यूसेंस परिलक्षित होना पाया गया है, जिस कारण उक्त स्थान से सामग्री हटाने सम्बन्धी/उचित कार्यवाही हेतू जिलाधिकारी महोदय, जनपद मेरठ द्वारा के पत्र संख्या 290/जी./ओ0ए0-354/नरेन्द्र कुमार/2022 दिनांक 30.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) को संयुक्त रूप से समिति गठित कर कार्यवाही किये जाने हेतू निर्देशित किया गया है, जिसके लिए पुलिस बल महिला पुलिस बल सहित की आवश्यकता होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 23.06.2022 दिन गुरूवार को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत परीक्षितगढ़
जनपद मेरठ।
22.06.2022

पंत्राक व दिनांक : यथोपरि।

प्रतिलिप : उप जिलाधिकारी महोदय, तहसील मवाना, जनपद मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत परीक्षितगढ़
जनपद मेरठ।
22.06.2022

ANNEXURE-8

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या : 290/G/OA-354/नरेन्द्र कुमार/2022 दिनांकः 30-5-22.

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
मवाना,
मेरठ।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, परिक्षितगढ़,
मेरठ।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0—354/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0—354/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2022 के मुख्य अंश निम्नवत् है—

1. The grievance in this present letter petition sent by Mr. Narender Kumar Sharma and other residents of Wards No. 3 & 8 behind Cooperative Bank, Nagar Panchayat, Parikshitgarh, Meerut is regarding illegal commercial activities of loading/unloading of sand and Rodi etc., carried on by Mr. Deepak in the residential area of Ward Nos. 3 & 8, behind Co-operative Bank, Nagar Panchayat, Parikshitgarh, Meerut and use of heavy transport vehicles for the purpose and thereby causing of air pollution posing serious health hazards to the inhabitants.
2. The allegations made require due verification and immediate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee of the State PCB, Executive Officer, Nagar Panchayat, Parikshitgarh, Meerut and District Magistrate, Meerut and direct the Joint Committee to meet within four weeks and undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for further consideration on 22/08/2022.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु ज्वाइंट कमेटी हेतु आपको नामित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ से समन्वय स्थापित करते हुए ससमय् अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति।

भवदीय
28/5/2022
(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,
मेरठ

प्रतिलिपिः

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त नामित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ससमय् अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
मेरठ